रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2010/पौष 29, 1931
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2010/PAUSA 29, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 40(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शैक्षिक संस्थाओं के आस-पास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध नियमावली, 2004 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड प्रदर्शित करना) नियमावली, 2009 है ।

(2) ये पूरे भारत पर लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) "अधिनियम" से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षिक संस्थाओं" से कोई भी ऐसा स्थान /केन्द्र अभिप्रेत हैं जहां विशिष्ट मानदंडों के अनुसार शैक्षिक पढ़ाई कराई जाती है और इनमें एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा स्थापित अथवा मान्यताप्राप्त कोई भी स्कूल, कालेज अथवा उच्चतर शिक्षण की संस्थाएं शामिल हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त और इन नियमों में परिभाषित न किए गए अपितु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्ति का अर्थ उन्हें अधिनियम में क्रमश: दिया गया अर्थ होगा ।

3. शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन.—(1) शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी कोई व्यक्ति परिसरों के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और यह धारा 24 के अंतर्गत जुर्माने, जिसे बढ़ाकर दो सौ रुपये तक किया जा सकता है, के साथ एक दंडनीय अपराध है ।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित 100 गज की दूरी को शैक्षिक संस्था की चार दीवारी बाड़ अथवा जैसा भी मामला हो, की बाहरी सीमा से त्रिज्य के आधार पर मापा जाएगा।

[फा. सं. पी.-16017/72/2007-पी.एच.-I]

वी. वेंकटाचालम, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2010

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), and in supersession of the Prohibition on sale of the Cigarettes and Other Tobacco Products around Educational Institutions Rules, 2004, except as respects things, done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Display of Board by Educational Institutions) Rules, 2009.

(2) They shall extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003) ;

(b) "educational institution" means any place or centre where educational institutions are imparted according to the specific norms and include any school/college and institution of higher learning established or recognised by an appropriate authority;

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Display of Board by Educational Institutions .—(1) The owner or manager or any person incharge of affairs of they educational institution shall display and exhibit a board at a conspicuous place outside the premises, prominently stating that sale of cigarettes and other tobacco products in an area within a radius of one hundred yards of educational institution is strictly prohibited and that it is an offence punishable under Section 24 of the Act with fine which may extend to two hundered rupees.

(2) The distance of one hundered yards referred to in sub-rule (1), shall be measured radially starting from the outer limit of the boundry wall or fence, as the case may be, of the educational institution.

[F. No. P. -16017/72/2007-PH-I]

V. VENKATACHALAM, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.